## FORM OF ORDER SHEET

## IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 160/2022

Chabbu Yadav.....Appellant

Versus

Dukha Mandal......Respondent

Serial Date of order	Office action
Schall     Date of older       No.     of proceeding.   Order with signature of the court.	taken with date
1 2 3	4
1         2         3           04-10-2024         -:आदेश:-           प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहत्तां, बनमनखी, पू द्वारा B.L.D.R वाद सं0- 02/2022-23 में दिनांक-30.6.2022 को प् आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।           उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर करते हए स्पष्ट किया मौजा- नौलखी, थाना सं0- 355 खाता सं0- 17, खेसरा सं0- 102, एव .20 $\frac{3}{4}$ डी० भूमि निश्चित चौहददी के साथ उत्तरवादी से विक्रय संलेख प् 7052, दिनांक- 27.8.2012 को क्रय करते हुए नामांतरण कराकर भू-ल भुगतान कर रहे है। उत्तरवादियों द्वारा इनके दखल में व्यवधान किये जा कारण निम्न न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। जिसमें उत्तारवादिय प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री करते हुए दखल प्रदान करने बात स्वीकर की है। विवाद का मूल कारण है कि उत्तरवादियों का कह- कि उक्त खाता का कुल रकवा- 1.28 एकड़ है। जबकि उक्त खात नामांतरण 1.88 एकड़ की हो गई है। निम्न न्यायालय द्वारा मानले की सु करते हए अंचलाधिकारी, बनमनखी को दस्तावेजीय एवं स्थलीय जॉचा यदि आवश्यक हो तो इसके समुचित समाधान हेतु सक्षम प्राधिकार के म से अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निदेश के साथ वाद खारिज कर गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा इनके हितों दखल-कब्जे की रक्षा करने चाहिए थी, किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इनके हितों दखल-कब्जे की रक्षा करते हुए आदेश पारित किया है, जो वैध नही है हस प्र इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत 3 पक्षकार दोश ग्रसित रहने एवं तथ्यों के आधार पर पोशणीय नही है । दुसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान आध का क्थन है कि प्रस्तुत 3 पक्षकार दोश ग्रसित रहने एवं तथ्यां के आधार पर पोशणीय नही है । य.28 एकड़ है जबकि रक्वा- 1.88 एकड़ भूमि का विभिन्न व्यक्तियों के	र्णेया ारित कि कि कवा— सं0— पान ते के ते ने की ता है तिक ता ने की ता है तिक ता ने की ता है तिक ता ने तिक ता ने तिक तिक ता ने तिक तिक ता ने तिक तिक ता ने तिक तिक तिक ता ने तिक तिक तिक तिक तिक तिक तिक तिक

		Land Dispute Appeal No 160/2022	
Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office actio taken with date
1	2	3	4
	लगातार	भू–लगान निर्गत है। निम्न न्यायालाय ने इसके सत्यापन एवं शुद्धिकरण हेतु क्रमशः	
	04-10-2024	अंचलाधिकारी, बनमनखी को सही निदशित किया है। उत्तरवादियों ने प्रश्नगत	
		खाता, खसेरा के कई विक्रय संलेखों के माध्यम से कुल 84 $\frac{1}{4}$ डी0 भूमि क्रय	
		की है। जिसका भू—लगान इनके पक्ष में निर्गत है। यह सही है कि इनके	
		द्वारा दिनांक— 27.8.2012 को 20 $\frac{3}{4}$ डी0 भूमि अपीलार्थी को बिक्री की गई है।	
		जिसे इन्होंने दिनांक– 15.7.1987 को भिखारी यादव से क्रय की थी। इस संबंध में पंचायत निश्फल रही। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी छब्बू यादव एवं	
		इनके भाई भिखारी यादव ने 84 1/4 डी० भूमि बलदेव यादव एवं सिंहेश्वर यादव	
		से क्रय की। किन्तु मात्र 62 डीo भूमि की ही जमाबंदी इसके नाम दर्ज हो सकी क्योंकि सिंहेश्वर यादव ने अपने भाई दुखा यादव को नाबालिग बताते	
		हुए उनके हिस्से की भूमि पूर्व में ही बिक्री कर दी थी। फलतः कई व्यक्तियों	
		के नाम खतियानी रकवा से अधिक भूमि की जमाबंदी दर्ज हो गई है। निम्न न्यायालय द्वारा सही आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से	
		अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।	
		उभय पक्षों को सुनने निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सु—संगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह	
		स्पेश्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के दखल–कब्जे में व्यवधान उत्पन्न	
		किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत विवाद उत्पन्न हुआ है। उत्तरवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत भूमि उन्होंने अपीलार्थी को विक्रय संलेख	
		सं0— 7052, दिनांक— 27.8.2012 द्वारा बिक्री करते हुए दखल—कब्जा दे दिया	
		और अपीलार्थी एवं अन्य द्वारा भी उसी तिथि 27.8.2012 को संयुक्त रूप से उत्तरवादी के पुत्र त्रिभवन यादव के पक्ष में विक्रय संलेख सं0– 7070 द्वारा	
		कुल 21 डी0 भूमि बिक्री की गई है। अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के	
		अवलोकन से यह विदित होता है कि त्रिभुवन यादव के विक्रय संलेख के ''तफसील '' कॉलम में तीनों विक्रेताओं को प्राप्त भूमि का स्पश्ट उल्लेख करते	
	$\langle \mathcal{O} \rangle$	हुए अपीलार्थी के संबंध में यथा वर्णित ''मोकिर तीन को ता0 24.6.1971 ईसी	
		दलील नं0— 4037, भो0 54 पेज नं0 186 से 190 के द्वारा प्राप्त है, जो बलदेव मंडल से प्राप्त है। जो दस धूर जमीन बिक्री किया।'' इससे स्पश्ट है	
		कि अपीलार्थी ने वर्श 1971 में किसी अन्य व्यक्ति से क्रय की गई भूमि में से	
		मात्र 10 धूर भूमि निश्चित चौहद्दी के साथ त्रिभुवन यादव को बिक्री की है। इससे यह स्पश्ट परिलक्षित होता है कि इनके द्वारा विवादित भूमि से बिक्री	
		नहीं की गइ है। फलतः अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी से क्रय की गई भूमि 20 34	
		डी० पर इनका वैध अधिकार है। अंचल अधिकारी, बनमनखी द्वारा समर्पित	

Land Dispute Appeal No.- 160/2022

			Office actio
Serial Date of o No. of proceed		th signature of the court.	taken with date
1 2		3	4
	नामांतरण वाद सं0— 1869, सं0— 96 दर्ज है। वर्श 2024 अपीलार्थी के दावे की वैधता तथ्यों की अनदेखी करते हुए अतः उपरोक्त के आलोव न्यायोचित नहीं पाते हुए निर्ज् जाता है कि प्रश्नगत भूमि प व्यवधान उत्पन्न नहीं करे अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे अधिक रकवा की जमाबंदी र चिन्हित करते हुए उनके विर प्रतिवेदन समर्पित करेगें। इर्स	024 से स्पश्ट है कि प्रश्नगत भूमि का 016–17 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में जमाबंद 25 तक का अद्यतन भू–लगान भुगतान है, ज 7 प्रमाणित करता है। निम्न न्यायालय द्वारा इन देश पारित किया गया है। तें निम्न न्यायालय आदेश को विधि–सम्मत ए किया जाता है। उत्तरवादी को निदेश दिय अपीलार्थी के दखल–कब्जे में किसी प्रकार क निम्न न्यायालय नियमानुसार आदेश क प्रांत होने के लिए संबंधित राजस्व कर्मचारी क नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करते हु ते साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजें। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	गे न वं ग ज ज से र र